

15-11-21  
अज अदालत

Form No-111

फर्द अहकाम (नियम 26)

उपरखण्ड अधिकारी

मुकाम

रायसिंहनगर

किसन राम बनाम

सरकार

नम्बर 327 सन् 2021

किस्म मुकदमा 136 एल आर एक्ट

जी.सी.एम.एस. आई.डी. 2021/

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जिन	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी किए
15.11.21	<p>तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार <u>सिद्धाचन्द्र</u>                      रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ./2021/848                      दिनांक <u>15.11.21</u> के द्वारा प्रशासन गांवों के संग                      अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>G.N.R.</u>                      में प्रार्थी के नाम चक <u>67 N.P.</u> की जमावंदी सम्बत  <u>2025-2028</u> के खाता सं. <u>20</u> में</p> <p><u>किसन राम</u> के रथान पर <u>के रथान पर</u>  <u>के रथान पर</u></p> <p>की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की गयी है।                      प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प                      कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार                      दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति                      जाहिर नहीं की गयी है। अतः तहसीलदार/नायब                      तहसीलदार <u>सिद्धाचन्द्र</u> रायसिंहनगर की अनुशंषा                      के आधार पर वाके चक <u>67 N.P.</u> तहसील                      रायसिंहनगर की जमावंदी सम्बत <u>2025-2028</u>                      के खाता सं. <u>20</u> में</p> <p><u>किसन राम</u> के रथान पर <u>के रथान पर</u>  <u>के रथान पर</u></p> <p>की दुरुस्ती करने                      के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी                      अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय                      का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो।                      पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।                      आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	

(अर्पिता सोनी)  
उपरखण्ड अधिकारी  
रायसिंहनगर  
कैम्प - G.N.P.

